

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एल० खियांगते,
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन),
झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक - / /2024 ई०।

विषय :-

केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (Special Central Assistance) योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के 07 (सात) अति उग्रवाद प्रभावित एवं संवेदनशील जिलों- चतरा, गिरिडीह, गुमला, खूँटी, लोहरदगा, सरायकेला-खरसावां एवं पश्चिमी सिंहभूम को प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त केन्द्रांश राशि रु० 52,01,00,000/- (बावन करोड़ एक लाख रुपये) मात्र की राशि के अन्तरण करने हेतु आवंटन के संबंध में।

महाशय,

विभागीय स्वीकृत्यादेश सं०-464, दिनांक 19.01.2024 के द्वारा विभिन्न शर्तों के अधीन केन्द्र प्रायोजित पुलिस आधुनिकीकरण योजनान्तर्गत विशेष केन्द्रीय सहायता (Special Central Assistance) योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य के 07 (सात) अति उग्रवाद प्रभावित एवं संवेदनशील जिलों यथा- चतरा (रु० 7,46,00,000/-), गिरिडीह (रु० 7,50,00,000/-), गुमला (रु० 7,50,00,000/-), खूँटी (रु० 7,05,00,000/-), लोहरदगा (रु० 7,50,00,000/-), सरायकेला-खरसावां (रु० 7,50,00,000/-) एवं पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा (रु० 7,50,00,000/-) को प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त केन्द्रांश राशि कुल रु० 52,01,00,000/- (बावन करोड़ एक लाख रुपये) मात्र को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में Single Nodal Agency (SNAs) पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड के द्वारा खोले गये Zero Balance Subsidiary Account में राशि अन्तरण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त स्वीकृति के आलोक में विशेष केन्द्रीय सहायता (Special Central Assistance) योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य के 07 (सात) अति उग्रवाद प्रभावित एवं संवेदनशील जिलों यथा- चतरा (रु० 7,46,00,000/-), गिरिडीह (रु० 7,50,00,000/-), गुमला (रु० 7,50,00,000/-), खूँटी (रु० 7,05,00,000/-), लोहरदगा (रु० 7,50,00,000/-), सरायकेला-खरसावां (रु० 7,50,00,000/-) एवं पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा (रु० 7,50,00,000/-) को प्रथम किस्त के रूप में विमुक्त केन्द्रांश राशि कुल रु० 52,01,00,000/- (बावन करोड़ एक लाख रुपये) मात्र को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में Single Nodal Agency (SNAs) पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड के द्वारा खोले गये Zero Balance Subsidiary Account में राशि अन्तरण करने हेतु आवंटित की जाती है।

3. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में केन्द्रांश राशि रु० 37,05,00,000/- (सैंतीस करोड़ पाँच लाख रुपये) मात्र का अन्तरण केन्द्रीय सेक्टर स्कीम बजटशीर्ष-4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोगना-77-अति वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष केन्द्रीय सहायता-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड-22C40550079677000545 तथा रु० 14,96,00,000/- (चौदह करोड़ छियानवे लाख रुपये) मात्र का अन्तरण केन्द्रीय सेक्टर स्कीम बजटशीर्ष-4055-पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय-207-राज्य पुलिस-77-अति वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष केन्द्रीय सहायता-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य, विपत्र कोड-22C40550020777000545 अन्तर्गत उपबंधित राशि से किया जाएगा।

4. उक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखण्ड, राँची होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची से की जाएगी। राशि की निकासी कर उक्त राशि को Single Nodal Agency (SNAs) पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची के द्वारा खोले गये Zero Balance Subsidiary Account में अन्तरण किया जाएगा।

5. राशि के व्यय में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत संबंधित सभी वित्तीय/प्रशासनिक नियम/विनियम/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी खर्च का अभिश्रव संघारित करेंगे और व्यय का सत्यापन महालेखाकार कार्यालय से कराकर प्रतिवेदन गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के बजट शाखा को उपलब्ध करायेंगे।

7. योजनाओं के क्रियान्वयन पर व्यय सक्षम स्तर से प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति के आलोक में तथा प्रशासनिक स्वीकृति की राशि के अनुज्ञेय सीमा के अन्तर्गत ही किया जाएगा।

8. संबंधित जिलों के उपायुक्त विषयांकित योजना के नियंत्री पदाधिकारी होंगे। उनका यह दायित्व होगा कि वे राशि के निकासी/व्यय करने के पूर्व संतुष्ट हों ले कि जिस योजना के लिए राशि की निकासी/व्यय की जा रही है वह सही है तथा इसकी पूर्व में निकासी नहीं की गयी है तथा स्वीकृत योजना का कार्य किसी अन्य मद से नहीं कराया गया/कराया जा रहा है। किसी प्रकार का अवैध निकासी का उत्तरदायित्व संबंधित जिलों के उपायुक्त का होगा।

9. राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

10. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि० (2), दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(एल० खियांगते)

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 03/पु०आ०(के०प्रा०यो०)/101/2018 (खंड-1)/ राँची, दिनांक- / /2024 ई०।
प्रतिलिपि - कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक- 03/पु०आ०(के०प्रा०यो०)/101/2018 (खंड-1)/ राँची, दिनांक- 01/02/2024 ई०।
प्रतिलिपि - प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/ महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक, झारखण्ड, राँची/पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), झारखण्ड, राँची/उपायुक्त, चतरा, गिरिडीह, गुमला, खूँटी, लोहरदगा, सरायकेला-खरसावां एवं पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा/पुलिस महानिरीक्षक (अभियान), Single Nodal Agency (SNAs), झारखण्ड, राँची/अपर सचिव-सह-PFMS के लिए विभागीय State Scheme Manager/नोडल पदाधिकारी, विभागीय पोर्टल/उप सचिव, प्रशाखा-18, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर मुख्य सचिव।



11/2/2024
2/8/2024

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

Home, Jail and Disaster Management Department (Home Division)

बाल वित्तीय वर्ष 2023-24 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 3/PAKPY/101/18K/160

दिनांक - 01-Feb-2024

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	C 22 40550020777000545 4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 00 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 207 - राज्य पुलिस 77 - अतिवामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष केन्द्रीय सहायता 00-NA 05 - निर्माण Central Scheme State Scheme : MODERNISATION OF POLICE FORCES(1943) Central Scheme : MODERNISATION OF POLICE FORCES(3194)	81460	PRJPOL001 PRABHAT KUMAR I.G.OF POLICE PROVISION 45 - निर्माण कार्य	149,600,000.00 रुपये चौदह करोड छयानवे लाख
2	C 22 40550079677000545 4055 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 00 - पुलिस पर पूंजीगत परिव्यय 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगिता 77 - अतिवामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों को विशेष केन्द्रीय सहायता 00-NA 05 - निर्माण Central Scheme State Scheme : MODERNISATION OF POLICE FORCES(1943) Central Scheme : MODERNISATION OF POLICE FORCES(3194)	81463	PRJPOL001 PRABHAT KUMAR I.G.OF POLICE PROVISION 45 - निर्माण कार्य	370,500,000.00 रुपये सैतीस करोड पाँच लाख

योग:

रुपये बावन करोड एक लाख

520,100,000.00

क्रमिक योग:

(L. KHIANGTE)

ADDITIONAL CHIEF SECRETARY